

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल प्रथम अपील संख्या -72/2014

आदेश दिनांक:-

30.05.2019

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थित:-

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी :- श्री जे.पी.गोयल, वरिष्ठ अधिवक्ता मय
श्री अभि गोयल, अधिवक्ता
अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी :- श्री सुनील कुमार जैन

प्रत्यर्थी की ओर से प्रार्थना पत्र संख्या-32540 विवादित परिसर की प्रथम मंजिल पर निर्माण करने की अनुमति दिए जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है ।

इस प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्तागण को सुना गया ।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने वादी का वाद निरस्त कर दिया था जिसके विरुद्ध की गई यह प्रथम अपील करीब पांच वर्ष से लंबित है । प्रत्यर्थी के पुत्र का हाल ही में विवाह हुआ है । प्रत्यर्थी के पास वर्तमान में उपलब्ध मकानात परिवार की आवश्यकता को पूरी नहीं करते हैं । प्रत्यर्थी स्वीकृत रूप से विवादित सम्पत्ति पर काबिज है अतः प्रत्यर्थी को विवादित सम्पत्ति की प्रथम मंजिल पर निर्माण करने की इजाजत प्रदान की जावे । प्रार्थी/प्रत्यर्थी, जो भी शर्तें इस संबंध में न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जावेगी, उनकी पालना करने को तैयार है । प्रार्थना पत्र के समर्थन में उन्होंने न्यायिक दृष्टांत- 2011(2) सी.सी.सी. 738, राजस्थान, नरोत्तम बनाम गीता देवी व अन्य प्रस्तुत किया ।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया व मुख्य रूप से यह कहा कि पूर्व में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समान प्रार्थना पत्र दिनांक 17.02.2018 के आदेश द्वारा निरस्त किया जा चुका है जिसके बाद स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे ।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा रखे गए तर्कों पर विचार किया गया ।

स्वीकृत रूप से पूर्व में करीब-करीब समान तथ्यों पर इसी प्रार्थना के साथ कि प्रत्यर्थी को प्रथम मंजिल पर निर्माण करने की इजाजत प्रदान की जावे, प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसके सम्बन्ध में दिनांक 17.02.2018 को निम्न आदेश पारित किया गया था:—

“ After hearing learned counsel for the parties, I have the to gone through the application and considered the submissions made by the learned counsel for the parties.

A perusal of the order dated 18.02.2014 would reveal that the parties were directed to maintain status-quo as it was existed on 18.02.2014. However, by order dated 09.08.2016, the respondent was permitted to get necessary repairs in the property.

Having regard to the submissions made by learned counsel for the parties and in view of the order dated 09.08.2016, I find no substance in the application seeking permission of the court for raising construction on first floor of the disputed property. If permission to raise construction, as prayed, is granted, it may cause multiplicity of litigation and further complications.

The application is dismissed accordingly. ”

उसके बाद परिस्थितियों में ऐसा कोई सारभूत बदलाव नहीं हुआ है जिसके कारण यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

परिणामतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है ।

(न्या० प्रकाश गुप्ता)